

विज्ञापन (वर्ग)

26/09/25

अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित।

अधिवक्ता प्राची ने साक्ष्य प्रार्थी

में गवाह Aw-02 गौरी का

शपथपत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम

4 उपलक्षित किया। फिर पूछा कि

साक्ष्य प्रार्थी में और गवाह पेश करना

जटी न्याया। साक्ष्य प्रार्थी बंद की

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER

Number of Case... MACT-27/2021 ... Year.....

श्रीमती संतोष देवी Versus... द्विनारायण वसुध

Date	Order with initials of Proesiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	<p>की जाती है। पतावली वाले साक्ष्य अभाव में हेतु दिनांक 03/10/25 को पेश है।</p> <p>न्यायाधीश मोटा सुबेठना कावा अधिकरण अपराजित एवं सिंधन न्यायाधीश सं. -02 दिल्लीमड (अजमेर)</p>	